

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, पोस्ट-बडासी, देहरादून।

संख्या 2335 / मु०ख्यो / खनन / 07 / सोपस्टोन / बागे० / म०खनि०ई० / 2020-21,  
कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक २२ सितम्बर, २०२२

मेरो जय श्री गंगानाथ मिनरल्स, ग्राम भैरुचौबट्टा जनपद बागेश्वर, भागीदार (१.श्री हरीश नाथ गोस्वामी पुत्र श्री गंगा नाथ निवासी मण्डलरोरा) । २.श्री मोहन नाथ गोस्वामी पुत्र श्री मान नाथ निवासी ग्राम मण्डलसेरा। ३.श्रीमती राधा गिरी पत्नी श्री केलाश नाथ गोस्वामी, निवासी ग्राम भैरुचौबट्टा एवं ४.श्री शिवराज बनौला पुत्र श्री बहादुर सिंह बनौला निवासी पत्नी श्री केलाश नाथ गोस्वामी, निवासी ग्राम भैरुचौबट्टा एवं ५.श्री शिवराज बनौला पुत्र श्री बहादुर सिंह बनौला निवासी अनुभाग-१ उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप चौसार, जाखनदेवी, तहसील व जिला अल्मोड़ा) के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग-१ उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2092 /VII-A-I /2021 /01(3) /22, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम भैरुचौबट्टा के क्षेत्रान्तर्गत कुल 03.834 हेक्टेएक्टर में 25 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत खनिज सोपरस्टोन के खनन पट्टे पर क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762 /खनन/गौण खनिज-माईंगिंग ज्लान/26 /भूखनिंदा/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844 /VII-1 /2015 /68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589 /VII-1 /2015 /68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्रस्तर-३(द)(१) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री भुवन जोशी, आर०क्य०पी० पंजीकरण संख्या Mu.Kha/RQP/DDN/01/2016 द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनिधेयित संचालन हेतु खनन कार्य समी मैक्नाइज्ड माईंगिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष में 11076 टन, द्वितीय वर्ष में 13051 टन, तृतीय वर्ष में 15693 टन, चतुर्थ वर्ष में 19918 टन एवं पंचम वर्ष में 23250 टन के उत्पादन हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया गया जाता है :-

### शर्ते / प्रतिबन्धः—

- उम्मी थीं जिसमें वर्तमान तक लगभग 03 माह का विलम्ब हो रहा है अगर शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अप्रत्यक्ष समयावधि नहीं बढ़ायी जाती है तो यह खनन योजना रवत हो जाएगी।
8. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
  9. यह खनन योजना बन (संरक्षण) अधिनियम-1980, बन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
  10. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रधारी माननीय न्यायालय, मा० द्रिघ्नुल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने की वाधित नहीं करती है।
  11. इस खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना किया गया है।
  12. प्रायेक छाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
  13. धात्तिक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिमोदारी पटुधारक की होगी।
  14. खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/क्रियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होंगा।
  15. आयेक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूखानी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
  16. भू-रादर्पण खनन पट्टा लाना समिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैकटोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आरक्षकृपी तथा आशयपत्र धारक जिमोदार होंगे।
  17. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आयेक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आरक्षकृपी/आयेक का होगा।
- संलग्नक:** खनन योजना  
एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना  
की अनुमोदित प्रति।

२५/१/२०२२  
(एस० एल० पट्रिक)  
निदेशक

2335 /मु०ख०/खनन/07/सोपस्टोन/बाग०/भू०खनि०इ०/2020-21, तददिनांकित  
संख्या /मु०ख०/खनन/07/सोपस्टोन/बाग०/भू०खनि०इ०/2020-21, तददिनांकित  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. रायित, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदरय सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. म० जय श्री गंगानाथ मिनरल्स, प्राम भैरुचौबट्टा जनपद बागेश्वर।
6. श्री भुवन जोशी, आरक्षकृपी पंजीकरण संख्या Mu.Kha./RQP/DDN/01/2016।

२५/१/२०२२  
(एस० एल० पट्रिक)  
निदेशक

०८८